ANNEX II-3

प्रेषक,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी,
प्र0अ0(स्थानीय निकाय)
जौनपुर।

संख्याः– 1607/ [illegible] दिनांकः– 28-12-17

विषयः– **नगरीय निकायों को सैनेट्री लैण्डफिल साईट के स्थान की व्यवस्था हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय आपके पत्र संख्याः–404(6) / दिनांकः–07–12–2017 जिसके अन्तर्गत नगरीय निकायों को सैनेट्री लैण्डफिल साइट की व्यवस्था हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ग्राम कुल्हनामऊ में चयनित स्थल पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजना के क्रियान्वयन हेतु कुल 10.73 एकड़ भूमि का चयन किया गया है। जिसमें सैनेट्री लैण्डफिल साईट निर्माण अधीन है, उक्त परियोजना हेतु कार्यदायी संस्था सी0एण्ड0डी0एस0 उत्तर प्रदेश जल निगम वाराणसी है।

आख्या सादर अवलोकनार्थ।

अधिशासी अधिकारी,
O/C नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

Scanned by CamScanner

कार्यालय नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

पत्रांकः–

दिनांकः–

सेवा में,

निदेशक,
सी0एण्ड डी0एस0,
उ0प्र0 जल निगम,
गोमती नगर, लखनऊ।

विषयः–सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट योजना जौनपुर के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट योजना जौनपुर के निर्माण तथा सेनेट्री लैण्डफिल के विकास एवं कूड़े के प्रसंस्करण हेतु आप द्वारा पी0पी0पी0 मोड के आधार पर, निविदा के माध्यम से मेसर्स **ए2जेड वेस्ट मैनेजमेन्ट (जौनपुर) प्रा0लि0** को चयनित किया गया था तथा इस हेतु कन्सेशन एग्रीमेन्ट संख्या–28/सी0जी0एम0–IV/2010–11 आप एवं चयनित संस्था के मध्य दिनांक–31/03/2011 को हस्ताक्षरित किया गया था। योजना की कुल लागत रूपये **12,22,75,000/–** थी जिसमे से रूपये **9,50,25,000/–** कैपिटल ग्रान्ट थी जिसमें भारत सरकार, राज्य सरकार एवं नगर पालिका का अंशदान था एवं शेष रूपये **2,75,50,000/–** ए2जेड यानि आपरेटर को निवेश करना था।

अनुबन्ध के अनुसार, अनुबन्ध हस्ताक्षरित करने के 8 माह के अन्दर योजना का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाना था, परन्तु खेद का विषय है कि लगभग 7 से 8 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात भी निर्माण कार्य नही पूर्ण हुआ अपितु योजना पर कोई उल्लेखनीय कार्य भी नहीं किया गया।

उपरोक्त के क्रम में जैसा कि आप स्वयं अवगत हैं कि **"स्वच्छ भारत मिशन"** के अन्तर्गत जौनपुर नगर जनित ठोस अपशिष्ट कर निस्तारण सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स

2000 यथासंशोधित 2016 एवं 2018 के अनुसार करने के लिए राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा लगातार निर्देश दिये जा रहे है। परन्तु योजना का कार्य न पूर्ण हो पाने के कारण नगर जनित ठोस अपशिष्ट योजना हेतु चयनित भूमि पर डम्प किया जा रहा है जो कि ऐसी स्थिति में आ चुका है कि यदि अतिशीघ्र योजना पूर्ण करके कूड़े का निस्तारण प्रारम्भ नही किया जाता है तो योजना हेतु चयनित भूमि 2 से 3 माह के अन्दर डम्प कूड़े से पूर्णतया भर जायेगी।

अतः श्रीमान् जी से अनुरोध है कि निर्माणाधीन योजना का निर्माण कार्य 1 माह (समयबद्ध कार्य योजना) में पूर्ण करने तथा योजना कार्यकारी करने के लिए निर्णय/समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने के साथ ही साथ लिये गये निर्णय एवं कार्य योजना से हमें भी अवगत कराने हु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे कि योजना का निर्माण कार्य पूर्ण होने एवं योजना कार्यकारी करने के सम्बन्ध में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही पालिका स्तर द्वारा सुनिश्चित की जा सकें।

सधन्यवाद।

भवदीय,

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर

पत्रांक–2449–2449(III)/ई.रू.पा. दिनांक–26.2.19

<u>प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–</u>

1–जिलाधिकारी महोदय, जौनपुर।
2–श्रीमान् निजी सचिव, माननीय नगर विकास राज्य मंत्री उ0प्र0 सरकार।
3–परियोजना प्रबन्धक, सी0एण्ड डी0एस0, यूनिट–37, उ0प्र0 जल निगम, जौनपुर।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर

कार्यालय नगर पालिका परिषद, जौनपुर

सेंवा में,

सचिव,
उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट
मानिटरिंग कमेटी गोमती नगर
लखनऊ।

पत्रांक– 07-07(III)/तीन-सामा0 दिनांक– 02-4-19

विषय– सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट योजनान्तर्गत कूडा प्रबन्धन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत होना चाहे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट योजना के निर्माण सेनेट्री लैण्डफील शासनादेश संख्या–818/नौ–5–19–56सा0/2018 के क्रम में जौनपुर कूडा प्रबन्धन हेतु जमीन उपलब्ध है जिसपर प्रसंस्करण हेतु सी0एण्ड डी0एस0 को नामित किया गया है प्लान्ट निर्माण हेतु कुल लागत 12,22,75,000=00 शासन से स्वीकृत हुये प्रारम्भिक दौर में पी0पी0पी0 मोड के आधार पर निविदा के माध्यम से मेसर्स ए टू जेड प्रा0लि0 को चयनित किया गया था जिसे सी0एण्ड डी0एस0 के निर्देश में कार्य कराना था। अनुबन्ध के आधार पर आठ माह के भीतर कार्य को पूर्ण करा लिया जाना था परन्तु खेद का विषय है कि लगभग 8 वर्ष व्यतीत हो जाने के बावजूद निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है जिसके कारण नगर पालिका परिषद जौनपुर क्षेत्रान्तर्गत 97 मि0टन कूडा निस्तारण कठिनाई आ रही है। मा0 मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी महोदय के बैठक में सड़क के किनारे कूडा किसी भी दशा में न फेके जाने का निर्देश दिये गये है। नगर का अधिकतर कूडा कूल्हनामऊ स्थित निर्माणधीन प्लान्ट पर भेजा जा रहा है (जहॉ भूमि खाली है) इसके अतिरिक्त अवगत कराना है कि स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत जौनपुर नगर ठोष अपशिष्ट निस्तारण सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स यथा संशोधित 2016 व 2018 के अनुसार राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा बेहतर कूडा निस्तारण प्रबन्ध प्रणाली तैयार करने के निर्देश दिये जा रहे है किन्तु उक्त प्लान्ट का कार्य पूर्ण न कराये जाने से नगर से निकलने वाले दैनिक कूडे को कुल्हनामऊ प्लान्ट में गिराये जाने से कूडे का ढेर लगता जा रहा है जिसमें अराजक तत्वों द्वारा आग लगाये जाने से पालिका परिषद को कठिनाई का सामना करना पडता है, जबकि पालिका द्वारा एक सफाई निरीक्षक, एक सफाई नायक, चार सफाई कर्मी तैनात कर कूडे का पृथककरण का कार्य कराया जा रहा है साथ ही पालिका द्वारा अपने स्तर से गड्डा खुदवाकर खाद बनाये जाने का प्रयास किया जा रहा है। परियोजना प्रबन्धक सी0एण्ड डी0एस0 जौनपुर को पत्र संख्या–2545/छ:–स्वा0 दिनांक 06 मार्च, 2019 तथा 2727/तीन–सामा0 दिनांक 30 मार्च, 2019 के माध्यम से बाउन्ड्रीवाल बनाये जाने के सम्बन्ध मे लिखित अनुरोध किया गया किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी इसके अतिरिक्त पत्र संख्या–2449/छ:स्वा0 दिनांक 26.02.2019 के माध्यम से निदेशक सी0एण्ड डी0एस0 उत्तर प्रदेश जल निगम गोमती नगर लखनऊ को भी अवगत कराया गया साथ ही जिलाधिकारी महोदय जौनपुर को पत्र संख्या–2726/तीन–सामा0 दिनांक 30 मार्च, 2019 के माध्यम से अवगत कराया गया है जिससे समस्या का निस्तारण कराया जा सके।

अतः महोदय से विनम्र अनुरोध है कि उक्त के सन्दर्भ में सम्बन्धित को उचित निर्देश देने की कृपा करें जिससे नगर पालिका परिषद जौनपुर अन्तर्गत कूडा प्रबन्धन की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

संलग्नक–

1–2545/छ:–स्वा0 दिनांक 06 मार्च, 2019
2–2727/तीन–सामा0 दिनांक 30 मार्च, 2019
3–2449/छ:स्वा0 दिनांक 26.02.2019
4–2726/तीन–सामा0 दिनांक 30 मार्च, 2019

भवदीय,

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर

प्रतिलिपि:–निम्नाकिंत को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
1–सचिव, नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ
2–जिलाधिकारी महोदय जौनपुर।
3–अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर

C:\Users\acer\Desktop\Letter rk.doc

कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिज़ाइन सर्विसेज़

उत्तर प्रदेश जल निगम

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय :– टी.सी.–38–वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010

फोन: 91 522 2728986 फैक्स: 91 522 2728988

Visit us: www.cdsupjn.org e-mail: director@cdsupjn.org

पत्रांक: 125/G.m.(N-8)/कार्य–10/15 दिनांक: 23/03/2019

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय निदेशालय,
लखनऊ।

विषयः–सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट योजना जौनपुर के कियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, जौनपुर के पत्र संख्या 2451/छः स्वा0 दिनांक 26.02.2019 जो इस कार्यालय को संबोधित एवं प्रति अन्य के साथ निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 सरकार को पृष्ठांकित है(छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट योजना जौनपुर के निर्माणाधीन कार्यों को एक माह में पूर्ण कर योजना को कार्यकारी करने हेतु अवगत कराया गया है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अवगत कराना है कि प्रश्नगत योजना भारत सरकार के जे0एन0एन0यू0आर0एम0 (यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0) के अन्तर्गत निर्माणाधीन है। योजना की कुल लागत रू0 1220.39 लाख है, जिसमें केन्द्रांश रू0 732.2340 लाख, राज्यांश रू0 244.0780 लाख एवं यू0एल0बी0 अंश रू0 244.0780 लाख तथा कन्शेसनायर शेयर रू0 272.50 लाख है। स्वीकृत लागत रू0 1220.39 लाख के सापेक्ष रू0 610.20 लाख की धनराशि प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त की गयी थी, जिसके सापेक्ष व्यय धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, जौनपुर द्वारा दिनांक 19.08.2017 को निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय को प्रेषित करते हुये अवशेष धनराशि रू0 610.20 लाख अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया, जो अभी तक अवमुक्त नही हो पायी है। पुनः अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, जौनपुर ने अपने पत्र सं0 1001(i)/एक–लेखा दिनांक 20 जुलाई 2018 द्वारा अवशेष धनराशि अवमुक्त किए जाने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त योजना की अवशेष धनराशि अवमुक्त न हो पाने की स्थिति में निर्माण कार्य बाधित है। इस संबंध में पूर्व में भी इस कार्यालय के पत्र सं0 286/निदे0कैम्प0 सा0वे0मैने0/03 दिनांक 22.11.2018 द्वारा भी आपसे योजना की अवशेष धनराशि रू0 610.20 लाख अवमुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है, जो अद्यतन अप्राप्त है।

अतः उपरोक्त के परिपेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि योजना की अवशेष धनराशि शीघ्र अवमुक्त कराने का कष्ट करें जिससे योजना का निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराया जा सके।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(राजीव निगम)
निदेशक

पृ0सं0 एवं उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, माननीय नगर विकास राज्य मंत्री, उ0प्र0 सरकार।
2. जिलाधिकारी जौनपुर।
3. मुख्य महाप्रबन्धक(प्रथम), सी0एण्ड डी0एस0, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ।
4. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, जौनपुर को उनके पत्र सं0 2451/छःस्वा0 दिनांक 26.02.2019 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. परियोजना प्रबन्धक, यूनिट–37, सी0एण्ड डी0एस0, उ0 प्र0 जल निगम, जौनपुर।

निदेशक

पैरा/ श्री ... /pc(H...)/ ... 01/04/19

प्रेषक,

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक
(सी0एण्ड0डी0एस0)
जौनपुर

पत्रांक– दिनांक– मार्च, 2019

विषय– **कुल्हनामऊ स्थित निर्माणधीन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट की सम्पूर्ण भूमि पर बाउन्ड्रीवाल का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत होना चाहे कि मा0 न्यायमूर्ति श्री डी0पी0सिंह, अध्यक्ष उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट मानिटरिंग कमेटी द्वारा जौनपुर स्थित ग्राम कुल्हनामऊ में कूडा डिस्पोजल एवं रख–रखाव के सन्दर्भ में दिशा निर्देश प्राप्त हुये है जिसमें कूडे के डिस्पोजल के साथ–साथ निर्माणाधीन प्लान्ट में सुरक्षा एवं किसी प्रकार की हानि से बचाव हेतु सम्पूर्ण भूमि पर बाउन्ड्रीवाल का निर्माण अतिशीघ्र कराये जाने के निर्देश दिये गये है। उक्त प्लान्ट की भूमि पर आप द्वारा लगभग 50 प्रतिशत बाउन्ड्रीवाल का कार्य कराया गया है। शेष भूमि पर बाउन्ड्रीवाल न होने से अराजक तत्वों द्वारा कूडे में आग लगा दी जाती है जिससे निकट के गॉव में रहने वाले नगरिकों में आक्रोश उत्पन्न होता है।

अतः अवशेष भूमि पर अतिशीघ्र बाउन्ड्रीवाल का कार्य पूर्ण कराने का कष्ट करें जिससे मा0 न्यायमूर्ति के निर्देश का पालन किया जा सकें।

06/03/19

ह0 अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर
दिनांक– 06 मार्च, 2019

पत्रांक– 2545-2545 (11) / द्वि0 स्वा0

प्रतिलिपि–

1–जिलाधिकारी महोदय, जौनपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–मा0 अध्यक्ष महोदया, को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

06/03/19

ह0 अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर

C:\Users\acer\Desktop\Letter rk.doc